कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बारां

(फोन: 07453-237186 ईमेल: dlsa5baran@gmail.com)

कमांक :–

दिनांक :–

–:: विज्ञप्ति ::–

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत बनाये गये राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवा) विनियम 2010 के विनियम 8 के अनुसरण में जिला मुख्यालय एवं इस न्यायक्षेत्र में तालुका स्तर पर स्थित न्यायालय से पैनल अधिवक्तागण (**Panel Lawyer**) चयन हेतु इच्छुक एवं पात्र विधि व्यवसायियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

पात्रता :–

विधि व्यवसायी जिसे न्यूनतम तीन वर्षो का वकालत का अनुभव हो।

नोटः–

01. विधि व्यवसायी से तात्पर्य अधिवक्ता अधिनियम 1961 (1961 का 25 की धारा 2 के खण्ड 'झ') में यथा परिभाषित से है।
02. पैनल सिविल, दाण्डिक, वैवाहिक विवाद आदि के लिए आवश्यकता होने पर व इस हेतु अधिवक्ता सक्षम होने पर पृथक–पृथक तैयार किये जा सकेगे।
03. उक्त पैनल एक वर्ष की अवधि के लिए गठित किया जाएगा जो कुल तीन वर्ष तक नवीनीकृत किया जा सकेगा।
04. पैनल अधिवक्तागण विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 एवं उनके तहत बनाये गये नियम, विनियम एवं उनके अंतर्गत बनायी गयी योजनाओं के क्रियान्वयन एवं समय–समय पर जारी निर्देशों एवं शर्तो के अधीन विधिक सेवाऐं प्रदान करेगें।
05. पैनल अधिवक्तागण को शुल्क एवं मानदेय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण विनियम 2010 एवं इस संबंध में राज्य प्राधिकरण द्वारा बनाये गये विनियम तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों के अनुसार देय होगा।
06. निर्देशित कार्य में लापरवाही बरते जाने पर किसी भी समय बिना नोटिस दिये पैनल अधिवक्ता की सेवाऐं समाप्त की जा सकेगी जिसके प्रति कोई आपत्ति नहीं की जायेगी।
07. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तालुका विधिक सेवा समिति किसी भी पैनल अधिवक्ता से किसी भी स्टेज पर केस वापिस ले सकेगी।
08. यदि पैनल अधिवक्तागण पैनल से हटना चाहे तो उन्हें कारण लिखते हुए संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना होगा जो उसे पैनल से हटने की अनुमति दे सकेगा।
09. पैनल अधिवक्तागण पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 एवं इसके तहत बनाये गये नियम, विनियम तथा समय–समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये आदेश लागू होगें।

10. तीस वर्ष से पैंतालीस वर्ष आयु वर्ग के अनुभवी अधिवक्तागण को वरीयता दी जायेगी तथा आपराधिक मामलों में कम से कम 5 वर्ष के एवं सिविल मामलों में कम से कम 10 वर्ष के वकालत अनुभव को प्राथमिकता पर विचार किया जावेगा।

11. इच्छुक आवेदक को अपना आवेदन पत्र मय अण्डर टेकिंग संलग्न निर्धारित प्रारूप में व्यक्तिशः अथवा डाक के माध्यम से इस कार्यालय में दिनांक 06/06/2018 तक (कार्यालय समय प्रातः 7:30 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक) प्रस्तुत करना होगा। उक्त तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।

संलग्नः– आवेदन का प्रारूप, अन्डरटेकिंग का प्रारूप

23-5-18
अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(जिला एवं सैशन न्यायाधीश)
बारां

कमांक :– 2743

दिनांक :– 23-05-18

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01. श्रीमान् सदस्य सचिव महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर
02. श्रीमान् जिला कलेक्टर, बारां
03. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, बारां
04. नोटिस बोर्ड जिला न्यायालय, बारां
05. नोटिस बोर्ड अभिभाषक संघ, बारां
06. अध्यक्ष ताल्लुका विधिक सेवा समिति
    छबड़ा/शाहबाद/अटरू/छीपाबड़ोद/मांगरोल/अन्ता/किशनगंज
07. अध्यक्ष अभिभाषक संघ
    छबड़ा/शाहबाद/अटरू/छीपाबड़ोद/मांगरोल/अन्ता/किशनगंज
08. अध्यक्ष ताल्लुका विधिक सेवा समिति छबड़ा/शाहबाद/अटरू/छीपाबड़ोद/मांगरोल/अन्ता/किशनगंज अपने–अपने नोटिस बोर्ड व अभिभाषक संघ के नोटिस बोर्ड पर लगावे तथा पालना की रिपोर्ट प्रस्तुत करे।
09. सिस्टम ऑफिसर जिला एवं सेशन न्यायालय, बारां को भेजकर लेख है कि विज्ञप्ति, आवेदन का प्रारूप व अन्डर टेकिंग का प्रारूप को जिला न्यायालय की बेबसाइट पर अपलोड़ कर, अबिलंब इस कार्यालय को सूचित करें।
10. संबंधित पत्रावली।

23-5-18
अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
बारां(राज0)

"प्रारूप—क"

पैनल अधिवक्ता हेतु आवेदन पत्र

(देखें राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवा) विनियम 2010 का क्लॉज 8)

आवेदक का नवीनतम रंगीन स्वंय का हस्ताक्षर युक्त पासपोर्ट साईज फोटो

1. नाम :—
2. पिता/पति का नाम :—
3. सम्पूर्ण पत्र व्यवहार का पता मय :—
   दूरभाष नम्बर, मोबाईल नम्बर एवं ई—मेल पता :—
4. बैंक खाता नम्बर :—
5. वकालत का मुख्य स्थान :—
6. एनरोलमेन्ट नम्बर मय वर्ष :—
7. वकालत के अनुभव की अवधि :—
8. वकालत का विनिर्दिष्ट क्षेत्र :—
   विशेष योग्यता/विषय :—
9. वर्तमान में पैरवी कर रहे कुल प्रकरणों की संख्या :—
10. वार्षिक आय :—
11. ऐसे मामलों का प्रकार जिसके सम्बन्ध में आपको मामला :— सौंपे जाने में अधिमान्यता **(Preference)** दी जा सके। (इस सम्बन्ध में वृतिक **(Professional)** अनुभव का सबूत संलग्न करें।)
12. क्या आप अपना समय केवल विधिक सहायता कार्य में लगाने के लिये और विधिक सेवा संस्था के प्रबन्ध/परामर्श कार्यालय में सदैव उपलब्ध रहने के लिये तैयार हैं? हॉं/नहीं
13. क्या आप स्वंय किसी न्यायिक प्रकरण में किसी न्यायालय या लोक अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पक्षकार है या रहे है? (यदि हां तो विवरण दें)
14. क्या आप बार काउन्सिल या बार एसोशियेशन के किसी पद पर है अथवा रहे है? (यदि हां तो विवरण दें)

उपरोक्त विवरण सही है व मैनें जानबूझकर कुछ नहीं छुपाया है।

संलग्नः—अण्डर टेकिंग एवं अनुभव प्रमाण पत्र

दिनांक :—

स्थान :—

विधि व्यवसायी के हस्ताक्षर

नोट :— अनुभव प्रमाण पत्र (प्रकरण/ विषय विशेष की रूचि के उल्लेख सहित) एवं अण्डर टेकिंग अवश्य संलग्न करें।

अण्डर टेकिंग

मै...पुत्र/पुत्री/पत्नि..

एनरोलमेन्ट नम्बर मय वर्ष... अण्डर टेकिंग देता हूं कि मैं पैनल अधिवक्ता के रूप में चयनित किये जाने पर विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 एवं उसके तहत बनाये गये नियम, विनियम एवं बनाई गई योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु जारी निर्देशों की निष्ठापूर्वक पालना करूंगा। पैनल अधिवक्ता के रूप में जो प्रकरण मुझे पैरवी के लिये सुपुर्द किये जावेगें उनसे सम्बन्धित व्यक्तियों से कोई शुल्क पारिश्रमिक व अन्य मूल्यवान प्रतिफल की मांग नहीं करूंगा और ना ही प्राप्त करूंगा। यदि मैं बेल/रिमाण्ड अधिवक्ता नियुक्त किया जाता हूँ तो मैं अधिवक्ताओं द्वारा कार्य बहिष्कार अथवा हडताल इत्यादि के समय मैं बेल/रिमाईण्ड अधिवक्ता की हैसियत से अभिरक्षा में व्यक्ति की विधिक सहायता करता रहूंगा व इस बाबत् न्यायालय में उपस्थित रहकर अपनी सेवाएं उपलब्ध कराउंगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण / ताल्लुका समिति द्वारा निर्देशित विधिक सहायता कार्यक्रम व स्कीम में सेवाएं देने हेतु तत्पर रहूंगा।

मुझे सुपुर्द किये गये कार्य में लापरवाही पाये जाने पर मुझे बिना नोटिस दिये हटाया जा सकेगा या दिया गया केस वापस लिया जा सकेगा जिसके लिये मैं कोई आपत्ति नहीं करूंगा।

दिनांक :– ....

स्थान :– ....

विधि व्यवसायी के हस्ताक्षर